आदेश पर ... बारे में टिप्पणी

(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० अपील वाद सं० 14/2014–15

पूरन सिंह .... अपीलकर्ता

बनाम

महेन्द्र बास्की .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

29/04/2016

यह रे०मि० अपील वाद सं० 14/2014–15 पूरन सिंह बनाम् महेन्द्र बास्की एवं अन्य, मौजा नयाडीह अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर०ई० वाद सं० 68/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा नयाडीह के दाग सं० 133 कुल रकवा 02–09–14 धूर जमींन उत्तरकारियों का जमाबन्दी जमींन है जिसमें अपीलकर्त्ता को अतिक्रमित 04 (चार) कठ्ठा जमींन से निम्न न्यायालय द्वारा उच्छेदित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त दाग में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। बल्कि उक्त दाग से सटे जोरिया का जमींन अतिक्रमण किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अमींन द्वारा मापी कराकर उच्छेदन की कार्रवाई की जा सकती है किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस पर कार्रवाई किये बिना ही अपीलकर्त्ता को उच्छेदित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी को विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी का जमाबन्दी जमींन अन्य के द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो गलत है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ''जांच के दरम्यान सरजमींन देखने एवं उभय पक्षों से पूछताछ से स्पष्ट होता है कि लगभग 02 कठ्ठा जमींन अपीलकत्ताओं द्वारा अतिक्रमण कर दखल किया जा रहा है शेष जमींन जैसा आवेदकगण का दावा है, न्यायालय अमींन द्वारा मापी कराकर उच्छेदन की कार्रवाई की जा सकती है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।

इस प्रकार अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में अपीलकर्त्ता द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा नहीं। इस पर निम्न न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित जमींन का मापी करने के पश्चात ही उच्छेदित करने का आदेश उभय पक्षों को सुनकर पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

226 [illegible] 6/6/16
Note

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.17 14:35:05 +05:30
Location: 169.254.227.244